

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी  
वाद पत्र संख्या  
24/2025

जीसीएमएस संख्या  
2025/18

:- डॉ. साधना शर्मा (RAS)

दायर दिनांक  
07.02.2025

निर्णय दिनांक  
06.04.2026

शीर्षक

हीरालाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भांकरी रोड, पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।  
वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. मालीराम पुत्र रामस्वरूप
3. यादराम पुत्र रामस्वरूप
4. राजू पुत्र रामस्वरूप
5. धीरसिंह पुत्र बाबूलाल
6. राकेश पुत्र बाबूलाल
7. बर्जी पत्नि बाबूलाल
8. इंद्रा पुत्री बाबूलाल
9. ममता पुत्री बाबूलाल
10. ज्याना देवी पत्नि जीवाराम
11. पूरणमल जाट पुत्र जीवाराम
12. महेश चौधरी पुत्र जीवाराम
13. बरफो पुत्री जीवाराम
14. रोशनी देवी पुत्री जीवाराम
15. हंसा पुत्री जीवाराम समस्त जातियान जाट निवासियान भांकरी रोड, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान
17. सबरजिस्ट्रार महोदय पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान प्रतिवादीगण



दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक: 06.04.2026

1. वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार शर्मा वादपत्र निम्नानुसार पेश है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1053/0.23, 1056/0.17, 2073/0.23, 948/0.33, 969/0.30, 2071/0.66, 939/0.75, 1049/0.46 हैक्टे वाके मौजा पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से संबोधित किया गया है।
2. वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान 1053/0.23, 1056/0.17, 2073/0.23, 948/0.33, 969/0.30, 2071/0.66, 939/0.75, 1049/0.46 हैक्टे वाके मौजा पावटा तहसील तह पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ के संबंध में तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया। दावा काबिले समात पाया जाना पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 तथा 06 लगायत 15 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। बावजूद सम्मन तामिल के बाद भी उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 05 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 27.07.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया।

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

3. दिनांक 26.02.2026 को तहसीलदार पावटा से कुर्रजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो आगामी नियत दिनांक पर शामिल पत्रावली की गई। वादी वकील ने तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को निर्णय डिक्री करने हेतु निवेदन किया जिसके प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादी ने अनापत्ति जाहिर की। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम निर्णय डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

4 अतः वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1053/0.23, 1056/0.17, 2073/0.23, 948/0.33, 969/0.30, 2071/0.66, 939/0.75, 1049/0.46 हैक्टे वाके मौजा पावटा तहसील तह पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, यादराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार	2071/2/0.33 हैक्टो भूमि।
2	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 305/4903, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 3603/4903, यादराम पुत्र रामस्वरूप हि. 385/4903, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 305/4903, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 305/4903 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	939/2/0.4903 हैक्टो भूमि।
3	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	1049/0.16 हैक्टो भूमि।
4	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, यादराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार	1053/0.23, 1056/0.17, 2073/2/0.1950, 948/2/0.22, 969/0.30 हैक्टो भूमि।
5	पूरणमल जाट पुत्र जीवाराम हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार महेश चौधरी पुत्र जीवाराम हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	2071/1/0.33 हैक्टो भूमि।
6	इन्द्रा पुत्री बाबूलाल हि. 625/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार, धीरसिंह पुत्र बाबूलाल हि. 625/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार, ममता पुत्री बाबूलाल हि. 1078/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार, बर्जी देवी पत्नी बाबूलाल हि. 1094/4077 जाति जाट सा.देह खातेदार, राकेश पुत्र बाबूलाल हि. 625/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार	939/1/0.2597, 948/1/0.11, 2073/1/0.0350 हैक्टो भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावे। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।



(डॉ. साधना शर्मा, RAS)  
 जयपुर अधिका  
 कोटपूतली-बहरोड

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)  
वाद पत्र संख्या 24/2025 जीसीएमएस संख्या 2025/18 दायर दिनांक 07.02.2025 निर्णय दिनांक 06.04.2026

शीर्षक

हीरालाल पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी भांकरी रोड, पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान। वादी

बनाम

1. जयसिंह पुत्र रामस्वरूप
2. मालीराम पुत्र रामस्वरूप
3. यादराम पुत्र रामस्वरूप
4. राजू पुत्र रामस्वरूप
5. धीरसिंह पुत्र बाबूलाल
6. राकेश पुत्र बाबूलाल
7. बर्जी पत्नि बाबूलाल
8. इंद्रा पुत्री बाबूलाल
9. ममता पुत्री बाबूलाल
10. ज्याना देवी पत्नि जीवाराम
11. पूरणमल जाट पुत्र जीवाराम
12. महेश चौधरी पुत्र जीवाराम
13. बरफो पुत्री जीवाराम
14. रोशनी देवी पुत्री जीवाराम
15. हंसा पुत्री जीवाराम समस्त जातियान जाट निवासियान भांकरी रोड, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान
17. सबरजिस्ट्रार महोदय पावटा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान प्रतिवादीगण



दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक: 06.04.2026

अतः वादपत्र तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुरेंजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1053/0.23, 1056/0.17, 2073/0.23, 948/0.33, 969/0.30, 2071/0.66, 939/0.75, 1049/0.46 हैक्टे वाके मौजा पावटा तहसील तह पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, यादराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार	2071/2/0.33 हैक्टो भूमि।
2	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 305/4903, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 3603/4903, यादराम पुत्र रामस्वरूप हि. 385/4903, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 305/4903, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 305/4903 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	939/2/0.4903 हैक्टो भूमि।

उपखण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

3	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 1/4 समस्त जाति जाट सा.देह खातेदार	1049/0.16 हैक्टो भूमि।
4	जयसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, मालीराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, यादराम पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, राजू पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार, हीरालाल पुत्र रामस्वरूप हि. 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार	1053/0.23, 1056/0.17, 2073/2/0.1950, 948/2/0.22, 969/0.30 हैक्टो भूमि।
5	पूरणमल जाट पुत्र जीवाराम हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार महेश चौधरी पुत्र जीवाराम हि. 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	2071/1/0.33 हैक्टो भूमि।
6	इन्द्रा पुत्री बाबूलाल हि. 625/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार, धीरसिंह पुत्र बाबूलाल हि. 625/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार, ममता पुत्री बाबूलाल हि. 1078/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार, बर्जी देवी पत्नी बाबूलाल हि. 1094/4077 जाति जाट सा.देह खातेदार, राकेश पुत्र बाबूलाल हि. 625/4047 जाति जाट सा.देह खातेदार	939/1/0.2597, 948/1/0.11, 2073/1/0.0350 हैक्टो भूमि।

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुरेंजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।



(डॉ. साधना शर्मा, RAS)  
उप खण्ड अधिकारी  
पावटा (कोटपतली बहसेड़)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस	/
4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	